

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2011/ 351

दिनांक 11.5.11

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से वर्ष 2006 मे चयनित है, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत नियुक्ति पश्चात् 2 वर्ष का परीविक्षाकाल (Probation Period) उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा नियम 63 के नियम 30 के तहत एतद्द्वारा स्थाई किया जाता है :-

| S.No | DOCTOR NAME           | CAT     | DOB      | DFA      | Date of Completion of Probation Period |
|------|-----------------------|---------|----------|----------|--|
| 1.   | डॉ. मुकेश मित्तल      | सामान्य | 08.04.68 | 19.05.06 | 18.05.08                               |
| 2.   | डॉ. रोजी जोशी         | सामान्य | 26.08.71 | 03.04.07 | 02.04.09                               |
| 3.   | डॉ. मुकेश कुमार मीणा  | अजजा    | 28.10.79 | 08.06.07 | 07.06.09                               |
| 4.   | डॉ. मुकेश कुमार मेहता | सामान्य | 10.03.71 | 15.12.06 | 14.12.08                               |
| 5.   | डॉ. किशन लाल मीणा     | अजजा    | 04.07.74 | 01.01.08 | 31.12.09                               |

निदेशक (जनं स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2011/ 351

दिनांक 11.5.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय/पाली/अजमेर/श्रीगंगानगर।
3. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को 3 अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर